पत्रांक 1प्रा0आ0–36/2002 1339/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार

पटना–15, दिनांक– 20/4/2012

विषयः **प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को साहाय्य मानदर की मद संख्या 1(ङ) के अन्तर्गत खाद्यान्न/ नगद राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

विदित हो कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), लोक नायक भवन, नई दिल्ली के पत्रांक 32–7/2011–एन0डी0एम0–1 दिनांक 16.01.2012 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष तथा राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष से वर्ष 2010–15 तक के लिए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा संशोधित मानदर संसूचित किया गया। इस पत्र के आलोक में दिनांक 19.03.12 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नये संशोधित मानदर को 01.04.2012 से राज्य में लागू किया जाय, जो दिनांक 01.04.12 तथा उसके उपरांत हुए प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू होगा। राज्य सरकार की सहमति से राज्य कार्यकारिणी समिति के इस निर्णय के आलोक में नए संशोधित मानदर को विभागीय पत्रांक 1293 दिनांक 17.04.12 द्वारा परिचारित किया गया है।

चूँकि संशोधित मानदर के मद सं0 1(ङ) में प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों, जिनके पास खाद्यान्न नहीं है या प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो गये हैं तथा उन्हें तत्काल सहायता के लिए अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है, के लिए Gratuitous Relief का स्केल बढ़ा दिया गया है, अतएव राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए निर्णय एवं राज्य सरकार के अनुमोदन से मुफ्त साहाय्य के प्रावधान निम्नानुसार लागू होंगेः

"दिनांक 01.04.12 अथवा उसके उपरांत घटित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को 30 दिनों के लिए विभागीय मानदर की मद सं0 1(ङ) के अन्तर्गत मुफ्त साहाय्य के रूप में 1 क्वीं खाद्यान्न (50 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 50 कि0ग्रा0 चावल) तथा रू0 1500.00 (एक हजार पांच सौ रूपये) नकद अनुदान प्रति परिवार की दर से भुगतान किया जायेगा।

पूर्व में एतद् संबंधी निर्गत विभागीय पत्रांक 2765 दि0 25.04.2008 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

D:\2012\leter to DM.doc

ज्ञापांक 1339 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 20/4/2012

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1339 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 20/4/2012

प्रतिलिपिः सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1339 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 20/4/2012

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1339 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 20/4/2012

प्रतिलिपिः निदेशक (डी0एम0–1), भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन) लोक नायक भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1339 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 20/4/2012

प्रतिलिपिः उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पंत भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1339 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 20/4/2012

प्रतिलिपिः मुख्य मंत्री के सचिव/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/ मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

D:\2012\leter to DM.doc